भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 754

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी अस्पताल का नियमितीकरण

754. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने देश में निजी स्वास्थ्य देखभाल के विनियमन और मानकीकरण की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या निजी अस्पतालों द्वारा भारी मात्रा में अधिक पैसा वसूलने से लाखों परिवार वित्तीय संकट में फंस गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या निजी अस्पतालों को विनियमित करने के लिए नैदानिक स्थापन अधिनियम, 2010 सहित महत्त्वपूर्ण कानून होने के बावजूद भी उनका वास्तविक, पूर्ण और एक समान कार्यान्वयन रुक गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है। निजी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों के विनियमन और मानकीकरण तथा उनके द्वारा अधिक शुल्क वसूलने से संबंधित मामलों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र देखते हैं। इसलिए, इस संबंध में डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

देश में समान रूप से स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों और सेवाओं के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार ने नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 को अधिनियमित किया। यह अधिनियम सरकारी (सशस्त्र बलों के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन को छोड़कर) और निजी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सभी प्रकार के नैदानिक स्थापन पर लागू है। इस अधिनियम के तहत, नैदानिक स्थापन (केंद्रीय सरकार) नियम, 2012 को अधिसूचित किया गया था जो यह निर्धारित करता है कि सभी नैदानिक स्थापन प्रत्येक प्रकार की प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित और जारी की गई दरों की सीमा के भीतर दरें लेते हैं। वर्तमान में, उन्नीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अधिनियम को अपनाया है और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपने अधिनियम हैं। अधिनियम या संबंधित राज्य अधिनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी, जैसा भी मामला हो, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

*****